विधि, न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 मार्च, 1994 / फाल्गुन 30, 1915 (शक)

संसद के निम्नलिखित अधिनियम को 21 मार्च, 1994 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और इसे सामान्य जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

वायु निगम (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 1994

सन 1994 का अधिनियम संख्या 13
[21 मार्च, 1994]

भारतीय विमानपत्तन और एअर इंडिया के उपक्रमों को क्रमशः **इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड** और **एअर इंडिया लिमिटेड** के रूप में गठित और पंजीकृत कंपनियों को हस्तांतरित करने और उनमें निहित करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने और साथ ही वायु निगम अधिनियम, 1953 को निरस्त करने के लिए एक अधिनियम।

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम **वायु निगम (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 1994** होगा।

(2) यह माना जाएगा कि यह **29 जनवरी, 1994** के दिन से प्रवृत्त हुआ है।

2. परिभाषाएँ

इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) *"नियत दिन"* से अभिप्राय ऐसी तारीख से है जिसे केंद्रीय सरकार धारा 3 के अधीन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे;

(ख) *"कंपनी"* से अभिप्राय **इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड** या **एअर इंडिया लिमिटेड** से है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन गठित और पंजीकृत है;

(ग) *"निगम"* से अभिप्राय **इंडियन एयरलाइंस** और **एअर इंडिया** से है, जो वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 3 के अधीन स्थापित किए गए हैं, और *"निगम"* से अभिप्राय इन निगमों में से किसी एक से है।

3. उपक्रमों का अंतरण और निहित होना

ऐसी तारीख को जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, निम्नलिखित का अंतरण किया जाएगा और वे निम्नलिखित में निहित होंगे–

(क) **इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड** में, इंडियन एयरलाइंस का उपक्रम;

(ख) **एयर इंडिया लिमिटेड** में, एअर इंडिया का उपक्रम।

4. निहित होने का सामान्य प्रभाव

(1) किसी निगम का वह उपक्रम, जो धारा 3 के अधीन किसी कंपनी को हस्तांतरित किया गया है और उसमें निहित हुआ है, उसमें सभी परिसंपत्तियाँ, अधिकार, शक्तियाँ, प्राधिकार और विशेषाधिकार तथा सभी संपत्तियाँ, चल और अचल, वास्तविक या वैयक्तिक, मूर्त या अमूर्त, कब्जे में या आरक्षित, वर्तमान या संभावित, किसी भी प्रकार की और जहाँ कहीं भी स्थित हों, जिनमें भूमि, कार्य, कार्यशालाएँ, विमान, नकद शेष, पूंजी आरक्षित निधि... शामिल माने जाएंगे

ऐसी संपत्ति से उत्पन्न अधिकार और हित, जो नियत दिन से ठीक पूर्व उस निगम के उपक्रम के संबंध में, भारत के भीतर या बाहर, उस निगम के स्वामित्व, कब्जे या नियंत्रण में थे, उनसे संबंधित सभी लेखा-पुस्तकें और दस्तावेज भी इसमें शामिल माने जाएंगे, तथा इसमें उस निगम के उपक्रम के संबंध में उस समय विद्यमान सभी प्रकार के ऋण, दायित्व और बाध्यताएँ भी शामिल मानी जाएंगी।

(2) नियत दिन से ठीक पूर्व विद्यमान सभी अनुबंध और कार्य व्यवस्थाएँ, जो किसी निगम को प्रभावित करती थीं, जहाँ तक वे उस निगम के उपक्रम से संबंधित हैं, उस निगम के विरुद्ध प्रभावी या प्रवर्तनीय नहीं रहेंगी और इस अधिनियम के बल पर जिस कंपनी में वह उपक्रम निहित हुआ है, उसके विरुद्ध या उसके पक्ष में उतने ही पूर्ण प्रभाव और बल के साथ लागू होंगी, और उतनी ही पूर्णता और प्रभावशीलता से प्रवर्तनीय होंगी, मानो उस निगम के स्थान पर उस कंपनी का नाम उनमें उल्लिखित होता या वह उनकी पक्षकार होती।

(3) नियत दिन से ठीक पूर्व किसी निगम के उपक्रम के संबंध में उसके द्वारा या उसके विरुद्ध लंबित या विद्यमान कोई कार्यवाही या वाद-कारण, उस दिन से, इस अधिनियम के बल पर जिस कंपनी में वह निहित हुआ है, उसके द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखा और प्रवर्तित किया जा सकेगा, उसी प्रकार जैसे यह इस अधिनियम के पारित न होने की स्थिति में उस निगम के द्वारा या उसके विरुद्ध प्रवर्तित किया जा सकता था, और वह उस निगम के द्वारा या उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं रहेगा।

5. अनुज्ञप्तियाँ, परमिट, कोटा और छूट

नियत दिन से प्रभावी होकर, उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी निगम के कार्यकलापों और व्यवसाय के संबंध में उस निगम को प्रदत्त सभी अनुज्ञप्तियाँ, परमिट, कोटा और छूट, उस कंपनी को प्रदत्त मानी जाएंगी जिसमें उस निगम का उपक्रम निहित हुआ है।

6. कर छूट और लाभ

(1) जहाँ किसी निगम को आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन किसी कर से छूट, या किसी कर के संबंध में कोई निर्धारण, अथवा किसी अवशोषित न की गई मूल्यह्रास, निवेश भत्ता या अन्य भत्ता या हानि के समायोजन या अग्रसारण के रूप में कोई लाभ प्रदान किया गया है या उपलब्ध है, तो ऐसी छूट, निर्धारण या लाभ उस कंपनी के संबंध में भी प्रभावी रहेगा जिसमें उस निगम का उपक्रम निहित हुआ है।

(2) जहाँ किसी निगम द्वारा किया गया कोई भुगतान आयकर अधिनियम, 1961 के किसी उपबंध के अधीन स्रोत पर कर कटौती से मुक्त है, वहाँ कर से ऐसी छूट उसी प्रकार उपलब्ध रहेगी, मानो उक्त अधिनियम के वे उपबंध जो निगम पर लागू होते थे, उस कंपनी के संबंध में भी प्रवर्तनीय हों जिसमें उस निगम का उपक्रम निहित हुआ है।

(3) धारा 3 के अनुसार उपक्रम या उसके किसी भाग का अंतरण और निहित होना, पूंजीगत लाभ के प्रयोजनों के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के अर्थ में अंतरण नहीं माना जाएगा।

7. प्रत्याभूतियों का जारी रहना

किसी ऋण या पट्टा वित्त के संबंध में किसी निगम के लिए या उसके पक्ष में दी गई कोई प्रत्याभूति, इस अधिनियम के बल पर उस कंपनी के संबंध में प्रभावी बनी रहेगी जिसमें उस निगम का उपक्रम निहित हुआ है।

8. अधिकारियों और कर्मचारियों का अंतरण

(1) किसी निगम का प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी, बोर्ड के निदेशक, अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जिसे निगम के संपूर्ण या उसके व्यवसाय और कार्यकलापों के किसी महत्वपूर्ण भाग के प्रबंधन का अधिकार हो, को छोड़कर, जो नियत दिन से ठीक पूर्व उसकी सेवा में कार्यरत था, जहाँ तक ऐसा अधिकारी या अन्य कर्मचारी उस उपक्रम के संबंध में नियोजित है जो इस अधिनियम के बल पर किसी कंपनी में निहित हुआ है, नियत दिन से उस कंपनी का अधिकारी या अन्य कर्मचारी, यथास्थिति, बन जाएगा जिसमें वह उपक्रम निहित हुआ है, और वह उसी कार्यकाल, उसी पारिश्रमिक, उन्हीं नियमों और शर्तों, उन्हीं दायित्वों तथा अवकाश, यात्रा, बीमा, अधिवर्षिता योजना, भविष्य निधि, अन्य निधियों, सेवानिवृत्ति, पेंशन, उपदान और अन्य लाभों के संबंध में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ अपना पद या सेवा धारण करेगा, जैसा वह उस निगम के अधीन धारण करता यदि उसका उपक्रम कंपनी में निहित न हुआ होता, और वह कंपनी के अधिकारी या अन्य कर्मचारी के रूप में ऐसा करता रहेगा, जब तक कि नियत दिन से छह माह की अवधि समाप्त न हो जाए, यदि ऐसा अधिकारी या अन्य कर्मचारी उस अवधि के भीतर कंपनी का अधिकारी या अन्य कर्मचारी न बने रहने का विकल्प चुनता है।

(2) जहाँ किसी निगम का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी उपधारा (1) के अधीन उस कंपनी की सेवा या नियोजन में न रहने का विकल्प चुनता है जिसमें उस निगम का

उपक्रम निहित हुआ है, ऐसा अधिकारी या अन्य कर्मचारी त्यागपत्र दिया हुआ माना जाएगा।

(3) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 या उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में निहित किसी बात के होते हुए भी, किसी निगम के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी की सेवाओं का किसी कंपनी को अंतरण, ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी को इस अधिनियम या उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का अधिकार नहीं देगा, और ऐसा कोई दावा किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा।

(4) वे अधिकारी और अन्य कर्मचारी जो नियत दिन से पूर्व किसी निगम की सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और किसी लाभ, अधिकार या विशेषाधिकार के पात्र हैं, वे उसी कंपनी से वे लाभ, अधिकार या विशेषाधिकार प्राप्त करने के अधिकारी होंगे जिसमें उस निगम का उपक्रम निहित हुआ है।

(5) निगम की भविष्य निधि या पायलट समूह बीमा और अधिवर्षिता योजना के न्यास तथा अधिकारियों या कर्मचारियों के कल्याण के लिए गठित अन्य निकाय, कंपनी में भी अपने कार्यों का निर्वहन उसी प्रकार करते रहेंगे जैसा वे अब तक निगम में करते रहे हैं। भविष्य निधि या पायलट समूह बीमा और अधिवर्षिता योजना को दी गई कर छूट कंपनी पर भी लागू होती रहेगी।

(6) इस अधिनियम या कंपनी अधिनियम, 1956, या उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, अथवा निगम के विनियमों में निहित किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड का कोई निदेशक, अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जिसे उस निगम के संपूर्ण या उसके व्यवसाय और कार्यकलापों के किसी महत्वपूर्ण भाग के प्रबंधन का अधिकार हो, अपने पद की हानि या उस निगम के साथ उसके द्वारा किए गए किसी प्रबंधन अनुबंध की पूर्वावधि समाप्ति के लिए, यथास्थिति, उस निगम या कंपनी के विरुद्ध किसी प्रतिकर का अधिकारी नहीं होगा।

9. केंद्रीय सरकार की निर्देश जारी करने की शक्ति

(3) केंद्रीय सरकार किसी कंपनी को उसके कार्यों के प्रयोग और निर्वहन के संबंध में निर्देश दे सकती है, और वह कंपनी ऐसे किसी भी निर्देश का पालन करने के लिए बाध्य होगी।

10. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकती है:

परंतु यह कि ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

11. निरसन और विघटन

(1) नियत दिन पर, **वायु निगम अधिनियम, 1953** निरस्त माना जाएगा।

(2) वायु निगम अधिनियम, 1953 के निरसन के साथ ही निगमों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

12. अध्यादेश का निरसन और व्यावृत्ति

(1) वायु निगम (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) अध्यादेश, 1994 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) वायु निगम (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) अध्यादेश, 1994 के ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई भी कार्रवाई या उठाया गया कोई भी कदम, इस अधिनियम के संगत उपबंधों के अधीन किया गया या उठाया गया माना जाएगा।

के. एल. मोहनपुरिया
भारत सरकार के सचिव।

शुद्धिपत्र

विशेष न्यायालय (प्रतिभूतियों में लेन-देन से संबंधित अपराधों के विचारण) संशोधन अध्यादेश, 1994 *(अध्यादेश 3, 1994)* में, जैसा कि **भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 1** में दिनांक **25 जनवरी, 1994** *(अंक संख्या 14)* को प्रकाशित किया गया था, निम्नलिखित शुद्धियाँ की जाएंगी:–

1. पृष्ठ 1 पर

(i) अंक संख्या "**13**" के स्थान पर "**14**" पढ़ा जाए;

(ii) प्रख्यापन प्ररूप में, पंक्ति 1 में, "**by by clause**" के स्थान पर "**by clause**" पढ़ा जाए।

2. पृष्ठ 2 पर

(i) पंक्ति 13 में, "**following section**" के स्थान पर "**following sections**" पढ़ा जाए;

(ii) अंतिम पंक्ति में, "**1968**" के स्थान पर "**1908**" पढ़ा जाए।

3. पृष्ठ 3 पर

(i) पंक्ति 2 में, "**an**" के स्थान पर "**and**" पढ़ा जाए;

(ii) पंक्ति 37 में, "**of the**" के पश्चात् "**Arbitration**" जोड़ा जाए।

4. पृष्ठ 4 पर

पंक्ति 4 में, "**itself**" के पश्चात् "**as**" जोड़ा जाए।

शुद्धिपत्र

वायु निगम (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) अध्यादेश, 1994 *(अध्यादेश 4, 1994)* में, जैसा कि **भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 1** में दिनांक **29 जनवरी, 1994** *(अंक संख्या 15)* को प्रकाशित किया गया था, निम्नलिखित शुद्धियाँ की जाएंगी:–

1. पृष्ठ 2 पर

(i) धारा 4 के सीमांत शीर्षक में, "**of vesting**" के पश्चात् "**of**" जोड़ा जाए;

(ii) पंक्ति 20 में, "**possession**" के पश्चात् "**or**" जोड़ा जाए;

(iii) पंक्ति 39 में, "**befome**" के स्थान पर "**before**" पढ़ा जाए।

2. पृष्ठ 3 पर

(i) पंक्ति 6 में, "**o ran**" के स्थान पर "**or any**" पढ़ा जाए;

(ii) पंक्ति 17 में, "**the Act mace**" के स्थान पर "**the said Act made**" पढ़ा जाए;

(iii) पंक्ति 44 में, "**ech**" के स्थान पर "**such**" पढ़ा जाए।

3. पृष्ठ 4 पर

पंक्ति 22 में, "**entitled to mange the which**" के स्थान पर "**entitled to manage the whole**" पढ़ा जाए।

4. पृष्ठ 5 पर

पंक्ति 3 में, "**corporation**" के स्थान पर "**corporations**" पढ़ा जाए।

शुद्धिपत्र

बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 1994 *(अध्यादेश 5, 1994)* में, जैसा कि **भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 1** में दिनांक **31 जनवरी, 1994** *(अंक संख्या 16)* को प्रकाशित किया गया था, पृष्ठ 2 पर–

(i) पंक्ति 2 में, **"principle"** के स्थान पर **"principal"** पढ़ा जाए;

(ii) पंक्ति 3 में, **"following sub-secti"** के स्थान पर **"following sub-sections"** पढ़ा जाए;

(iii) पंक्ति 5 में, **"any thing"** के स्थान पर **"anything"** पढ़ा जाए;

(iv) पंक्ति 10 में, **"chairmnn"** के स्थान पर **"chairman"** पढ़ा जाए।

एयर इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल की वर्तमान संरचना

एयर इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल की वर्तमान संरचना निम्नानुसार है:–

1. श्री वी. थुलसीदास, आईएएस (एमटी:72) – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री रघु मेनन – निदेशक
3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड – रिक्त
4. श्री पी.ए.के. मिश्रा, एएस एंड एफए – निदेशक
5. अध्यक्ष, एएआई – निदेशक
6. श्री एन. वाघुल, अध्यक्ष, आईसीआईसीआई – निदेशक
7. से 10. कार्यात्मक निदेशक (चार) – ये पद (वित्त, वाणिज्यिक, अभियांत्रिकी और कार्मिक) एसीसी की स्वीकृति से भरे जा रहे हैं।
8. से 15. गैर-सरकारी निदेशक (पाँच) – ये पद रिक्त हैं।

एचसीआई के वर्तमान आधिकारिक निदेशक मंडल

एचसीआई के वर्तमान आधिकारिक निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार है:–

1. **अध्यक्ष, एआईएल** – पदेन अध्यक्ष
2. **प्रबंध निदेशक, सीटीएल** – निदेशक
3. **संयुक्त सचिव (एचसीआई से संबंधित कार्य)** – निदेशक
4. **एएस एंड एफए, नागर विमानन मंत्रालय** – निदेशक
5. **गैर-सरकारी निदेशक (पाँच)** – रिक्त।